

प्रेषक,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन उ०प्र०,  
कानपुर।

सेवा में,

- 1—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या /८५-३२३ / दर अनु०/ सा०क्य/२०१६ कानपुर: दिनांक : ०३ मार्च २०१६

विषय:-दर अनुबन्ध की केन्द्रीयकृत व्यवस्था को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय उ०प्र०) स्तर पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के सामग्री क्य नियमों के अधीन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय उ०प्र०) के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली दिनांक ३१-३-२०११ तक लागू थी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नियमित आवश्यकता को देखते हुए दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती थी, किन्तु शासनादेश दिनांक ३१-३-२०११ द्वारा उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रभावी दर अनुबन्ध की केन्द्रीयकृत व्यवस्था को समाप्त कर तिकेन्द्रीयकृत करते हुए सभी प्रकार के दर अनुबन्ध राजकीय विभागों को अपने स्तर से करने हेतु अधिकृत कर दिया गया था।

शासन द्वारा शासनादेश संख्या-१/२०१६/०७०/१८-२-२०१६-५१(एस०पी०)/२०१० दिनांक २८-०१-२०१६ के माध्यम से दर अनुबन्ध की विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय, उ०प्र०) स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था पुनः लागू किया गया है। उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली के लागू हो जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जिसकी आवश्यकता नियमित रूप से वर्ष-पर्यन्त रहती है, का दर अनुबन्ध उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय, उ०प्र०) द्वारा किया जायेगा। केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय स्तर पर लागू होने के परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि-

- (१) केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय स्तर पर लागू होने की तिथि से अन्य किसी विभाग/कार्यालय द्वारा किसी आइटम का दर अनुबन्ध नहीं किया जायेगा।
- (२) जिस सामग्री आइटम की आपके विभाग/कार्यालय में वर्ष-पर्यन्त नियमित रूप से आवश्यकता होती है, उन आइटमों के दर अनुबन्ध हेतु निर्धारित प्रारूप पर (पृष्ठ भाग में अंकित) भौग पत्र समस्त सूचनाओं सहित आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० कानपुर (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय, कानपुर उ०प्र०) को १५ दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि सम्बन्धित सामग्री का दर अनुबन्ध किया जा सके।

भवदीया,

अ०३।।६  
( नीना शर्मा )

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या

/उपरोक्त तददिनांक २०१६

उपरोक्त की प्रति प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

नीना शर्मा )

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उत्तर प्रदेश।

—दर अनुबन्ध हेतु मांग पत्र का प्रारूप —

विवरण / सूचना
1—विभाग का नाम
2—मांग अधिकारी का नाम व पता, टेलीफोन नम्बर एवं ई—मेल पता
3—मांग पत्र संख्या व दिनांक।
4—उपभोक्ता कार्यालयों के नाम।
5—सामग्री का विवरण तथा पूर्ण एवं सही स्पेसिफिकेशन (वेय विचलन के साथ यदि काई लागू हो) संलग्न किया जाये।
6—सामग्री की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता, यूनिट व अनुमानित मूल्य।
7—आई०एस०आई० मार्क होने की दशा में बी०आई०एस० नं०
8—यदि सामग्री कन्फर्मिंग टू आई०एस० हो तो बी०आई०एस० नम्बर का विवरण दें अथवा अन्य स्टेब्लिशड मानकों का उल्लेख किया जायें।
9—आपूर्ति अवधि (जिस समय तक वस्तु की आवश्यकता हो)
10—निरीक्षण संस्था का नाम (सामग्री की आपूर्ति से पूर्व अथवा आपूर्ति के बाद)
11—क्या नमूने का डिमांस्ट्रेशन/परीक्षण कय व्यवस्था के निर्णय के पूर्व आवश्यक है(यदि हॉ तो किसके द्वारा)
12—क्या वस्तु का इरेक्शन/कमिश्निंग आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक है।
13—क्या वस्तु के रख रखाव हेतु मेन्टिनेन्स कान्ड्रेक्ट की आवश्यकता होगी।
14—क्या अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता होगी।
15—सामग्री के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी दी जाये।
16—विगत वर्ष विभाग द्वारा कय की गयी कुल मात्रा एवं मूल्य
17—निविदा में सम्मिलित की जाने वाली विशेष शर्तों का उल्लेख किया जाये।
18—सम्मानित आपूर्तिकर्ता इकाईयों के नाम व पते।

मांग अधिकारी के हस्ताक्षर व  
पदनाम सहित मुहर